HRA का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (ii)

PART II-Section 3-Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸ਼ਂ. 303] No. 303] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 28, 2012/फाल्गुन 9, 1933

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 28, 2012/PHALGUNA 9, 1933

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्पाण विभाग)

अधिसूधना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2012

का.आ. 342(अ).—केन्द्रीय सरकार, नैदानिक स्थापन (रिजस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 23) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 मार्च, 2012 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जब से उक्त अधिनियम के उपबंध अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम तथा संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होंगे।

[फा. सं. जेड. 28015/92/2011-एच]

अरुण के. पण्डा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2012

S.O. 342(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2010 (23 of 2010), the Central Government hereby appoints the 1st day of March, 2012, as the date on which the provisions of the said Act shall come into force in the States of Arunachal Pradesh, Himachal Pradesh, Mizoram and Sikkim and the Union Territories.

[F. No. Z. 28015/92/2011-H] ARUN K. PANDA, Jt. Secy.